कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला कोरबा छ0ग0

क्रमांक / स्था.नर्सिंग / 2020 / 8127 कोरबा दिनांक : 11.11.2020

सूचना

विषयः– संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला / बहुददेशिय स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला / ए.एन.एम. के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अनंतिम मेरिट सूची प्रकाशन कर दावा आपत्ति आमंत्रित करने के उपरांत दस्तावेज सत्यापन करने के संबंध मे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (एम.पी.डब्ल्यू.) महिला के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. के पत्र क्रमांक / स्थापना नर्सिंग / 2020 / 586/नवा रायपुर, दिनांक 14.08.2020 द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के 253 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर दिनांक 18.08.2020 से 01.09.2020 तक ऑनलाईन आवेदन विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in पर आमंत्रित किए गये थे।

तदोपरांत कार्यालय द्वारा दिनांक 13.10.2020 को अनंतिम मेरिट सूची प्रकाशन कर दिनांक 13.10.2020 से दिनांक 19.10.2020 तक कार्यालयीन समय 5:30 बजे तक केवल अंको पर ईमेल आई.डी **anmrecruitkorb@gmail.com** पर दावा आपत्ति आंमत्रित की गई थी। तत् पश्चात् दावा आपत्ति निराकरण की सूची एवं अनंतिम मेरिट सूची विभागीय वेबसाईट **www.cghealth.nic.in** एवं कोरबा जिले के शासकीय वेबसाईट **www.korba.gov.in** पर प्रकाशित की गई है। अंनतिम मेरिट सूची के आधार पर अभ्यार्थियों का दस्तावेज सत्यापन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरबा मे दिनांक 17.11..2020 एवं 18.11. 2020 को आयोजित किया गया है। जिसकी विस्तृत जानकारी निम्नानुसार हैः–

वर्ग	सरल क्रमांक	दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि	समय
निःशक्त जन	समस्त	17.11.2020	प्रातः 11:00 बजे
भू.पू.सै.	अभ्यार्थी नही है।	निरंक	निरंक
अनंतिम मेरिट सूची	01 से 42 तक	17.11.2020	प्रातः 11:30 बजे
अ.जा.वर्ग की मेरिट सूची	01 से 09 तक	17.11.2020	दोपहर 3:00 बजे
अ.ज.जा.वर्ग की मेरिट सूची	01 से 45 तक	18.11.2020	प्रातः 11:00 बजे
अ.पि.वर्ग की मेरिट सूची	01 से 15 तक	18.11.2020	दोहपर 3:00 बजे

1. कोविड–19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए अनावश्यक भीड न हो इस उद्देश्य से समय निर्धारित की गई है, अतः समस्त अभ्यार्थी समय–सीमा का पालन करें एवं अनिवार्य रूप से मास्क लगाकर दो गज की दूरी एवं हैंड सेनेटाईजर का प्रयोग करते हुए निर्धारित समय मे अनिवार्य रूप से उपस्थित होवें।
2. अभ्यार्थी अनिवार्य रूप से निम्नलिखित मूल दस्तावेजों एवं 02 स्व प्रमाणित छायाप्रति के साथ उपस्थित होंगे एवं दस्तावेज निम्न क्रम मे व्यवस्थित कर प्रस्तुत करेंगेः–
   1. हाई स्कूल प्रमाण पत्र।
   2. हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र।

3. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 माह/24 माह प्रशिक्षण उतीर्ण सभी वर्षो की अंकसूची।
4. छत्तीसगढ नर्सिंग कौंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र।
5. मूल निवास प्रमाण पत्र।
6. जाति प्रमाण पत्र।
7. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र (केवल दिव्यांग अभ्यार्थियों के लिए)।
8. रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र।
9. अनुभव प्रमाण पत्र एवं संबंधित नियुक्ति आदेश।
10. नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. ऑनलाईन आवेदन की हस्ताक्षरित प्रति एवं अन्य दस्तावेज।

3. अभ्यार्थी अपने साथ पहचान पत्र हेतु आधार कार्ड एवं मतदाता परिचय पत्र अनिवार्य रूप से लावें।
4. कोविड–19 संक्रमण के चलते यदि कोई अपरिहार्य स्थिति निर्मित होती है, जिससे अभ्यार्थी का दस्तावेज सत्यापन मे उपस्थित होना संभव नही हो पा रहा है तो अभ्यर्थी किसी अन्य व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप मे अधिकृत कर सकता है। अभ्यार्थी द्वारा अपने प्रतिनिधि को दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने के लिए लिखित रूप से अधिकृत करेगा एवं अधिकार पत्र मे प्रतिनिधि के हस्ताक्षर प्रमाणित किया जाना एवं अनुपस्थित रहने का कारण दर्शाया जाना अनिवार्य होगा। उक्त अधिकृत व्यक्ति को दस्तावेज सत्यापन के समय अधिकार पत्र एवं अपना तथा अभ्यार्थी का परिचय पत्र भी मूल प्रति एवं अभ्यार्थी द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा लिखित अधिकार पत्र नही होने की स्थिति मे किसी भी प्रतिनिधि को दस्तावेज सत्यापन हेतु मान्य नही किया जावेगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला कोरबा छ0ग0